राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
अनु० 52- 78)

सरकार का स्वरूप- भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है। अमेरिका में सरकार का स्वरूप अध्यक्षात्मक है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति सांविधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मन्त्री परिषद् में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होता है। मन्त्री परिषद् लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मन्त्री परिषद् के सदस्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। यद्यपि अनुच्छेद 53 द्वारा संघ की कार्यपालिका-शक्ति-राष्ट्रपति में निहित की गयी है, लेकिन अनुच्छेद 74 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वह उसका प्रयोग मन्त्री- परिषद् की सहायता और मन्त्रणा से ही करेगा। इसके विपरीत, अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का अधिकारी होता है। उसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है। वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति स्वयं अपने मन्त्रीमण्डल के मन्त्रीयों को नियुक्त कर सकता है और वह उन्हें पदच्युत भी कर सकता है।

अनुच्छेद 52 यह उपबन्धित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीन स्थ अधिकारी के द्वारा करेगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अर्हताएँ (अनुच्छेद - 58)

संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हतायें रखनी चाहिए—

1) वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
2) उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए,
3) उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखनी चाहिए अर्थात् उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन मण्डल में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, और
4) वह केन्द्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ का पद को धारित न करता है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति (अनुच्छेद - 55)

भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष (Indirect) निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, सीधे निर्वाचन द्वारा नहीं। ऐसा संसदीय प्रणाली के अनुरूप ही है। क्योंकि इसमें राष्ट्र अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मन्त्री परिषद् में निहित होती है। यही कारण है कि उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है।

अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधान मण्डलों के निर्वाचित सदस्य होंगे।

अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

संविधान का अनुच्छेद 55 यह अपेक्षा करता है कि जहाँ तक व्यवहार्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न - भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के समान

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

मे एकरूपता होगी तथा समस्त राज्यो आपस मे एकरूपता तथा समस्त राज्यो तथा संघ मे भी ऐसी समतुल्यता का प्रयास होगा (अनुच्छेद 55(2)) भिन्न-2 राज्यो मे ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यो एवं संघ मे समतुल्यता बनाए रखने के लिए एक विशेष फॉर्मूला अपनाया गया है—

विधानसभा के सदस्यो का वोट = राज्य की जनसंख्या / विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या × 1000

यदि भागफल 500 या 500 से ज्यादा आता है तो कुल वोटो की संख्या मे 1 और जोड़ दिया जाता है।

संसद के सदस्य का वोट = राज्य के विधानसभाओ के मतो की कुल संख्या / संसद के निर्वाचित सदस्यो की कुल संख्या

यदि भागफल आधे से ज्यादा आये तो मतो मे कुल संख्या मे एक और जोड़ दिया जाता है।

अनुच्छेद 55 मे प्रयुक्त 'जनसंख्या' पद से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती ~~जनसंख्या~~ जनगणना मे अभिनिश्चय की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आकड़े प्रकाशित हो गए है। परन्तु इस स्पष्टीकरण मे अन्तिम जनगणना के प्रति, जिसके आकडे प्रकाशित हो गये है, निर्देश का जब तक कि सन् 2000 के पश्चात् पहली जनगणना के सुसंगत आकड़े प्रकाशित नही हो जाते है, यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। इस स्पष्टीकरण मे संविधान के 84 वें संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधन

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

करके 2000 संख्या के स्थान पर 2026 संख्या रखी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मे 2026 तक 1971 की जनसंख्या का ही आधार होगा।

राष्ट्रपति की पदावधि - संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति की तारीख के उपरान्त भी पद को धारण किये रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकार पद को ग्रहण न कर ले।

निर्वाचन सम्बन्धी विवाद - संविधान का अनुच्छेद 71 यह उपबन्धित करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सम्बन्धित सब शंकाओ और विवादो का निर्णय उच्चतम न्या० द्वारा किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
(Procedure for impeachment of the president)

अनु० 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का ~~प्रस्ताव~~ आरोप किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। जिसके अनुसार जब राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप हो तो उसपर महाभियोग चलाया जा सकता है और ऐसा आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा आरोप तब लगाया जायेगा जब कि -

1) प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप हो;
2) जो कि कम-से-कम चौदह दिन की लिखित सूचना देने के बाद प्रस्तुत किया गया हो;
3) जिस पर सदन के 1/4 सदस्यो ने हस्ताक्षर करके प्रस्तावित करने का तथ्य प्रकट किया हो;

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

4) उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम-से-कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प को पारित कर दिया गया हो।

जब संसद के किसी सदन द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा चुका हो तो दूसरा सदन उसकी जाँच करेगा। जाँच या तो सदन स्वयं करेगा या तो किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के द्वारा करायेगा, जिसको उस सदन द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा। राष्ट्रपति को इस जाँच में स्वयं उपस्थित होकर या वकील द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। यदि जाँच के बाद वह सदन अपनी सदस्य संख्या के कम-से-कम 2/3 बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव/संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता है कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप साबित हो चुका है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके पारित किये जाने की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाना होगा। (61(4))

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

संविधान द्वारा प्रदत्त राष्ट्रपति की शक्तियों को हम निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं—

1) कार्यपालिका शक्ति,
2) सैनिक शक्ति,
3) कूटनीतिक शक्ति,
4) विधायिका शक्ति,
5) न्यायिक शक्ति,
6) आपातकालीन शक्तियाँ।

1) कार्यपालिका-शक्ति— संविधान में राष्ट्रपति को वृहत् कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। संघ की कार्यपालिका-शक्ति राष्ट्रपति में निहित है (अनु० 53)। वह भारतीय गणतन्त्र का प्रधान है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका-कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है (अनु० 77)। वह देश के सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है; जैसे—

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मन्त्रियों, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपालों, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, आयोग तथा आफिशियल कमीशन के सदस्यों, अनुसूचित तथा आदिम जातियों के लिए विशेष अधिकारी, अनुसूचित और पिछड़े वर्गों के लिये आयोग तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी आदि। उसे इन अधिकारियों की पदच्युति का भी अधिकार है, किन्तु ऐसा उसे विहित प्रक्रिया के अनुसार ही करना होगा किन्तु ध्यान रहे कि उक्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मन्त्री परिषद् की सलाह (मन्त्रणा) से ही करेगा।

2) सैनिक शक्ति - राष्ट्रपति देश के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति है। उसे युद्ध घोषित करने तथा शान्ति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। किन्तु इस शक्ति के प्रयोग को संसद विधि द्वारा विनियमित करती है। इस प्रकार राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति के उसकी कार्यपालिका शक्ति के अधीन है जिसका प्रयोग वह मन्त्री परिषद् की सलाह से करता है।

3) कूटनीतिक शक्ति - राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और अन्य विदेशी राजदूतों और अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करता है। विदेशों से संधियाँ और अन्तर्राष्ट्रीय समझौते आदि राष्ट्रपति के नाम से किये जाते है। किन्तु संधियाँ या समझौते संसद के अनुसमर्थन के उपरान्त ही आबद्धकर होते है।

4) विधायी शक्ति - राष्ट्रपति केन्द्रीय विधान मण्डल का एक आवश्यक अंग है। सिद्धान्ततः उसे वृहत शक्तियाँ प्राप्त है, किन्तु व्यवहारतः उन शक्तियों का प्रयोग वह मन्त्री परिषद के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

को आहुत करता है और सत्रावसान करता है। वह लोकसभा का विघटन कर सकता है, किन्तु अनु० 85 (1) के अनुसार संसद् के एक सत्र की अन्तिम बैठक और अगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच छः मास से अधिक का अन्तर नही होना चाहिए। प्रत्येक सत्र के आरम्भ मे राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 (1) के अन्तर्गत दोनो सदनो के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करता है जिसमे वह सरकार की सामान्य नीतियो और भावी कार्यक्रमो का विवरण देता है। किन्तु यह अभिभाषण राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नही होता बल्कि मन्त्री मण्डल द्वारा तैयार किया जाता है। वह संसद के किसी सदन को सन्देश भेज सकता है। अनुच्छेद (86)

संसद् के दोनो सदनो द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेजा जाता है उसकी अनुमति के बाद ही वह विधेयक अधिनियम बनता है। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनो सदनो मे कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। नये राज्यो के निर्माण, और वर्तमान राज्यो के क्षेत्रो, सीमाओ या नामो के बदलने के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद् मे पेश नही किया जा सकता है। (अनुच्छेद -3) व्यापार, वाणिज्य की स्वतन्त्रता पर निर्बन्धन लगाने वाला राज्य का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य-विधानमण्डल मे पेश नही किया जा सकता है (304)

राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियो को राज्य सभा मे नाम निर्देशित करता है, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा (कविसास) के क्षेत्र मे विशेष ज्ञान या अनुभव रखते है अनु० 80 (3) वह लोकसभा मे भी दो एग्लो इंडियनो के नाम निर्देशित करने का भी अधिकार रखता है। यदि उसकी राय मे लोकसभा मे उस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है। (अनुच्छेद -331)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Paramount
Date
Page 8

राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट पेश करता है। वह ऑडिटर जनरल, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) SC, OBC के विशेष अधिकारी और भाषायी अल्पसंख्यक के विशेष अधिकारी की रिपोर्ट को भी संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत जब दोनों सदन सत्र में नहीं है तो ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जो तुरन्त प्रख्यापित करना परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो गया है।

5) न्यायिक शक्ति – अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिये गये किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रविलम्बन (respites), विराम (respites), या परिहार (remission) करने की अथवा दण्ड आदेश के निलम्बन, परिहार (remit) या लघुकरण (Commute) करने की शक्ति प्रदान करता है। निम्न लिखित मामलों राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त होती है –

1) यदि दण्ड अथवा दण्डादेश सैना न्यायालय ने दिया हो।
2) दण्ड अथवा दण्डादेश ऐसे विषय से सम्बन्धित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर संघ कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार है।
3) जिन मामलों में दण्ड मृत्यु दण्ड दिया गया है।

क्षमादान – "दण्डित व्यक्ति को उस स्थिति में ला देना जैसा कि उसने अपराध किया ही न हो।"
लघुकरण – 'एक के बदले में दूसरा' (कठोर कारावास को साधारण (Commute) कारावास में बदलना)
(remission) परिहार – "दण्ड की मात्रा को उसी प्रकृति बदले बिना कम करना"
जैसे- एक वर्ष के कारावास को छः माह का कर देना।
(respite) विराम – "किन्हीं विशेष कारणों से दण्ड को कम कर देना"
जैसे- गर्भवती स्त्री के मृत्यु दण्ड को साधारण कारावास में परिवर्तन

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(Reprieve) प्रविलम्बन – "मृत्यु दण्ड का अस्थायी निलम्बन"

6) आपातकालीन शक्तियाँ – संविधान मे तीन प्रकार की परिस्थितियो मे राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है –

1.) युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात, (अनुच्छेद 352)

2.) राज्यों मे संविधानिक तन्त्र की विफलता से उत्पन्न होने वाला आपात, (अनुच्छेद 356)

3.) वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360)

भारत के राष्ट्रपति की संविधानिक स्थिति

सद्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित है। वह तीनो सेनाओ का प्रधान, देश का प्रथम नागरिक तथा देश का संविधानिक अध्यक्ष होता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ उसी के द्वारा होती है। संधियाँ, समझौते, युद्ध और आपात की उद्घोषणा उसी के द्वारा की जाती है देखने से ऐसा लगता है कि वह सारे कार्य करने की शक्ति रखता है। परन्तु फिर भी उस की संविधानिक स्थिति विवादपूर्ण रही है। कोई उसे 'रबड़ की मुहर' तो कोई कठपुतली कहता है कोई इंग्लैण्ड के सम्राट से उनकी तुलना करता है, तो कोई इसे वास्तविक अध्यक्ष कहता है।

संविधान के 42वे संशोधन अधि० 1976 ने अनु० 74(1) मे संशोधन करके राष्ट्रपति को मन्त्री परिषद की सलाह से अपने कार्य करने के लिए संविधानिक रूप से बाध्य कर दिया है। इस संशोधन से पहले मन्त्री परिषद की सलाह मानने की बाध्यता उस पर आरोपित नही थी।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

P. V समान्त बनाम युनियन ऑफ इंडिया के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रीयों द्वारा दी गयी सलाह को मानने के लिये बाध्य था। उससे अपने विवेक पर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अनु० 75(1) उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मन्त्रीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की सलाह पर करेगा। अनु० 75(2) के अनुसार मन्त्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।

उपर्युक्त संविधानिक प्रावधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है और यदि वह चाहे तो तनाशाह बन सकता है। संविधान में राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां दी गयी है जो उसे तनाशाह बना सकती है, वे निम्नलिखित है—

1) वह आपातकालीन घोषणा करके संसद को भंग कर सकता है और बड़ी सरलता पूर्वक कार्यपालिका की शक्ति को अपने हाथों में ले सकता है।(352)
2) वह सशस्त्र सेनाओं का प्रधान होता है यदि उसके खिलाफ विद्रोह भड़कता है तो वह सैनिक शक्ति का प्रयोग करके उसे दबा सकता है। अनु० 53(2)
3) वह अध्यादेश जारी करके कानूनों को लागू कर सकता है (अनु० 123)

Discretionary Power of President
राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ

1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति, (75(1))
2) अल्प बहुमत वाली सरकार की सलाह मानने के लिए

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राष्ट्रपति बाध्य नही है।

3) संविधान के पपवें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुर्नविचार हेतु वापस मंत्रीमण्डल को भेज सकता है।

4) अनुच्छेद 78 (क) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सरकार के क्रिया कलापो की सूचना प्रधानमंत्री के माध्यम से मांगी जा सकती है।

5) प्रधानमंत्री की असमयिक मृत्यु होने की स्थिति मे राष्ट्रपति द्वारा किसी कार्यकारी (Executive) प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है।

6) अनु० 201 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रीमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी अनुमति देने हेतु आरक्षित कर सकता है। (Pocket Veto) अनु० 111 भी

प्रधानमंत्री (Prime Minister)

अनु० 74 (1) यह उपबन्धित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यो का संचालन करने मे सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्री परिषद होगी जिसका प्रधान या प्रमुख प्रधान मन्त्री होगा। अनु० 75 (1) यह कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रीयो की नियुक्ति प्रधानमंत्री की मन्त्रणा पर राष्ट्रपति करेगा। किन्तु प्रथमतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले मे राष्ट्रपति कदाचित ही अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मे वह मनमानी नही कर सकता है क्योंकि उस ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनना होता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो अथवा संसदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अनुच्छेद 75 (3) मे यह कहा गया है कि मन्त्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसलिए कोई ऐसा ही व्यक्ति

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो।

मन्त्री परिषद्

अनु० 74(1) यह उपबन्धित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन करने में सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा। अनु० 75 (1) यह उपबन्धित करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मन्त्रणा पर करेगा। अनुच्छेद 75 का खण्ड (2) यह कहता है कि मन्त्रीगण राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त (during the pleasure) पद धारण करेंगे। 75 खण्ड (3) के अनुसार मन्त्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। खण्ड (4) के अधीन प्रत्येक मन्त्री अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष तीसरी अनुसूची में विहित (Prescribe) प्रारूप के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। खण्ड (5) यह कहता है कि कोई भी मन्त्री निरन्तर छः माह की अधिक अवधि तक संसद का किसी सदन का सदस्य नही बन जाता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मन्त्री नही रहेगा।

संविधान के 91वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा अनु० 75 मे खण्ड (1) के पश्चात 2 नए खण्ड 1(क) और 1(ख) जोड़े गये है। नया खण्ड 1(क) यह उपबन्धित करता है कि प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीयों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नही होगी।

नया खण्ड 1(ख) यह कहता है कि यदि एक तिहाई सदस्य दल विभाजन करके दल बदलते है

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। ऐसा व्यक्ति तब तक मन्त्री, निगम का अध्यक्ष या किसी अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता है, जब तक कि वह पुनः निर्वाचित न हो जाये।

मन्त्रीगण किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को भी मन्त्री नियुक्त किया जा सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।

एस. पी. आनन्द बनाम H. D. देवगौड़ा (1996) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे छः माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मन्त्री नियुक्त किया जा सकता है। किन्तु यदि वह इस अवधि के अन्दर संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो मन्त्री या प्रधानमन्त्री नहीं रहेगा। प्रस्तुत मामले में प्रधानमंत्री श्री H. D. Devgoda जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, आपत्ति उठाई गयी कि उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे अनुच्छेद 14, 21 और 75 का उल्लंघन होता है। न्या० ने निर्णय दिया कि अनु० 75 (5) के अनुसार उनकी नियुक्ति विधिमान्य है प्रधानमंत्री बनने के पश्चात वह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

एस० आर० चौहान बनाम पंजाब राज्य 2001 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक गैर सदस्य मन्त्री नियुक्त किये जाने के भीतर निर्वाचित नहीं हो पाता है उसे दोबारा मन्त्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

मन्त्री परिषद् में तीन श्रेणी के मन्त्री होते हैं —

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

1) कैबिनेट स्तर के मन्त्री
2) राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार)
3) उप मन्त्री

कैबिनेट मन्त्री अपने विभागों के अध्यक्ष होते है। सभी कैबिनेट मन्त्री मन्त्री परिषद् के सदस्य होते है। केवल कुछ अग्रतम और प्रमुख मन्त्रीगण ही मन्त्री मण्डल के सदस्य होते है मन्त्री मण्डल (कैबिनेट) मन्त्री परिषद् की एक छोटी इकाई है।

सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)

मन्त्री परिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का प्रमुख आधार है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मन्त्रीपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मन्त्रीगण अपने कार्यों के लिए टीम के रूप मे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते है। मन्त्रीगण एक टीम के रूप मे कार्य करते है और मन्त्रीमण्डल के लिये गये सभी निर्णय उसके सदस्यो के सयुक्त निर्णय होते है। मन्त्रीमण्डल की बैठक मन्त्रीयो के किसी विषय पर कितना मतभेद क्यो ना रहा हो किन्तु एक बार जब निर्णय ले लिया जाता है, तब उसे सभी मन्त्रीयों को स्वीकार करना होगा और विधान मण्डल मे या उसके बाहर उसका समर्थन करना होगा। यदि कोई मन्त्री प्रधानमंत्री अथवा मन्त्री परिषद् की नीतियो से असहमत है तो उसके लिये त्यागपत्र देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नही है। यह प्रधानमंत्री के हाथ मे सबसे बड़ा अस्त्र है जिसके माध्यम से वह मन्त्री परिषद् के अपने सहयोगियो मे एकता और अनुशासन बनाये रखता है। इस

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सिद्धान्त के अनुसार मन्त्री परिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ यह है कि यदि मन्त्रीपरिषद् लोकसभा का विश्वास खो देती है; अर्थात् किसी नीति के प्रश्न पर पराजित हो जाती है, तो मन्त्री परिषद् को इस्तीफा दे देना पड़ता है।

मन्त्रीयों का व्यैक्तिक उत्तरदायित्व

सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ-साथ मन्त्रीयों के व्यक्तिगत दायित्व का भी सिद्धान्त होता है। प्रति एक मंत्री अपने विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। उसे अपने विभाग से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर संसद में देना होता है। वह अपने विभाग की जिम्मेदारियों को अपने कर्मचारियों या दूसरे मन्त्री पर नहीं डाल सकता है। उसे अपने विभाग से सम्बन्धित प्रश्नों के बारे में संसद में उत्तर देना पड़ता है। यदि वह उसके उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है तो मन्त्री अपने पद पर बना रहेगा, यदि अस्वीकार करता है तो मन्त्री को इस्तीफा देना होगा।

प्रधानमंत्री की स्थिति

अनुच्छेद 78 यह उपबन्धित करता है कि प्रधानमंत्री मन्त्री मण्डल के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। वह ऐसी सूचनाएं भी देगा जिनकी मांग राष्ट्रपति करता है। यहां निर्णय शब्द ध्यान देने योग्य है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मन्त्री परिषद् के निर्णय को संसूचित करता है। केवल संस्तुतियों को नहीं। अतः राष्ट्रपति मन्त्री मण्डल के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है। मन्त्री मण्डल ही लोकसभा के

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नही होता। यदि राष्ट्रपति मन्त्री परिषद् की सलाह के बिना कार्य करता है तो वह अनुच्छेद 53 (1) के विपरीत होगा और असंवैधानिक होगा।

सन् 1950 से लेकर आज तक संविधान के संचालन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या संविधानिक प्रधान है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मन्त्री मण्डल में निहित है।

न्यायपालिका ने भी अपने निर्णयो मे इसी मत का अनुमोदन किया है

राम जवाया बनाम पंजाब राज्य (1955) के मामले मे उच्चतम न्या० ने यह अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत मे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की सरकार स्थापित की गयी है। जिसका मूलभूत सिद्धान्त यह है कि "राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है किन्तु वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मन्त्रीपरिषद् मे निहित है।"

उपरोक्त विषयो को अवलोकित करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि देश की शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है, जो अपने मन्त्री मण्डल की सहायता के द्वारा देश की शासन व्यवस्था को चलाता है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राज्यपाल (The Governor)

केन्द्र की तरह राज्यो मे प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है। कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है, जिसे मन्त्री परिषद् की सलाह पर कार्य करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अन्तर्गत राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य मे एक राज्यपाल होगा। दो या दो से अधिक राज्यो के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल मे निहित होगी वह अपनी कार्यपालिका शक्तियो का उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियो के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियो पदावली के अन्तर्गत मन्त्रीगण भी आते है।

अनु० 155 राज्यपाल की नियुक्ति – भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। वह केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। राज्यपाल का पद एक स्वतन्त्र संवैधानिक पद है और वह केन्द्रीय सरकार के अधीन या उसके नियन्त्रण मे नही होता है।

राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं – (अनुच्छेद-157)

किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न अर्हताएं रखनी होगी –

1) वह भारत का नागरिक हो,
2) वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

राज्यपाल पद के लिए शर्तें – (अनुच्छेद 158)

राज्यपाल न तो संसद के किसी सदन का और न राज्य के विधान मण्डल का ही सदस्य हो सकता है। यदि केन्द्र अथवा राज्य के किसी भी सदन का वह सदस्य है तो राज्यपाल को पद की शपथ लेने के पश्चात यह समझा जायेगा कि सदन में उसका स्थान रिक्त हो गया है। राज्यपाल लाभ के किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा।

राज्यपाल की पदावधि (अनुच्छेद-156)

राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करेगा। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है।

सूर्यनारायण बनाम भारत संघ (1982) के मामले में माननीय उच्चतम न्याo ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल की पदावधि के मामले में राष्ट्रपति केन्द्रीय मन्त्री मण्डल के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। राज्यपाल लिखित रूप से यदि वह चाहे तो अपना त्यागपत्र (Resignation) राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है

राज्यपाल की शक्तियाँ –

राष्ट्रपति की कूटनीति तथा आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर संघ राज्यपाल की शक्ति भी राष्ट्रपति के समान है। राज्यपाल की शक्तियों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है –

1) कार्यपालिका शक्ति
2) वित्तीय शक्ति
3) विधायी शक्ति
4) न्यायिक शक्ति

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

1) कार्यपालिका शक्ति — राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राज्य के समस्त कार्यपालिकीय कार्य राज्यपाल के नाम पर किये जाते है। समस्त आज्ञाएँ एंव लिखत राज्यपाल के नाम विधिवत प्रमाणीकृत किये जायेंगे जो उसके द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार किये जायेंगे। राज्यपाल राज्य की मन्त्री परिषद् में मुख्यमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मन्त्री की नियुक्ति करता है। अनु० 164 (1) के अनुसार ये मन्त्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करते है।

अनु० 165 (1) के अन्तर्गत राज्य के महाधिवक्ता और अनु० 316 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एंव अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है।

गुजरात राज्य बनाम आर० ए० मेहता (2013) के मामले में उच्चतम न्या० ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य के प्रधान के रूप में राज्यपाल को अपने औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का उपयोग केवल मन्त्री परिषद् की सहायता व परामर्श से करना होता है। वह अनुच्छेद 166 (3) के अधीन बनाये गये कार्य नियमों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए बाध्य है।

2) वित्तीय शक्ति — अनु० 168 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधान सभा में कोई

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अनु० 203(3) के अन्तर्गत राज्यपाल की ही संस्तुति पर अनुदान की मांग पेश की जा सकती है। अनु० 202 के अन्तर्गत विधान मण्डल के सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल द्वारा ही वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे साधारणतया बजट कहते हैं, पेश किया जाता है।

3) विधायी शक्तियाँ — अनु० 174 (1) तथा (2) के अन्तर्गत राज्यपाल विधान मण्डल के एक सदन या दोनों सदनों को निश्चित समय एवं निर्दिष्ट स्थान पर अधिवेशन के लिए आहूत करता है। किन्तु दोनों अधिवेशनों के बीच छः मास से अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। वह दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है, तथा विधान मण्डल को (Prorogation) भंग भी कर सकता है। वह राज्य के विधानमण्डल को सम्बोधित करता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अपने पास रोक सकता है। वह विधान परिषद 1/6 सदस्यों को मनोनीत भी करता है। जो साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं तथा जिन्होंने सहकारी आन्दोलन में भाग लिया है। अनु० 213

राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति उसकी अध्यादेश ~~XXX~~ जारी करने की शक्ति है। अनु० 213 के अनुसार जब कभी विधान मण्डल सत्र में न हो और राज्यपाल को यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक है तो राज्यपाल ऐसे अध्यादेश जारी कर सकता है जो उसे आपेक्षित प्रतीत हो किन्तु निम्न लिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राज्यपाल अध्यादेश जारी नही कर सकता है—

1) जिन अध्यादेशों पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है,

2) जिन अध्यादेशों पर राष्ट्रपति की सलाह की आवश्यकता है।

प्रत्येक अध्यादेश को राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनो के समक्ष सदनो के आहूत किये जाने के पश्चात स्वीकृति हेतु रखा जाना अपेक्षित है। अन्यथा वह सदन के आहूत किये जाने के 6 सप्ताह के पश्चात निष्प्रभावी हो जायेगा। इससे पूर्व भी यदि दोनो सदन इसे अस्वीकृत कर दे तो वह 6: सप्ताह पूर्व भी निष्प्रभावी हो जायेगा। राज्यपाल यदि चाहे तो 6: सप्ताह पूर्व भी अध्यादेश वापिस ले सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित कानूनो का होता है।

4) न्यायिक शक्तियाँ — राज्यपाल अनु० 161 के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम, या परिहार या दण्डादेश का निलम्बन या लघुकरण कर सकता है। किन्तु ऐसा अपराध किसी राज्य विधि के विरुद्ध ही किया गया हो, इस के अतिरिक्त राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियो मे निम्नलिखित अन्तर विद्यमान है—

1) राष्ट्रपति को उन सभी मामलो मे जिनमे की मृत्यु दण्ड हो अनन्य शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु के दण्डादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नही है।

2) राष्ट्रपति को सेना न्या० द्वारा दिये गये दण्ड अथवा दण्डादेश के मामले मे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जबकि राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नही है।

नारायण दत्त बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद मे यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियो के अन्तर्गत वह अभियुक्त को निर्दोष घोषित

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

नही कर सकता है। यह न्यायपालिका की अधिकारिता के अन्तर्गत है।

राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति वैसी ही है, जैसी कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत प्राप्त है।

शत्रुघन चौहान बनाम भारत संघ (2014) के वाद मे माननीय उच्चतम न्या० ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से दया याचिका के निस्तारण मे हुये अत्यधिक विलम्ब पर क्षमादान प्रक्रिया का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है और ऐसे विलम्ब के कारण तथा कैदी की मानसिक अस्वस्थता के आधार पर फाँसी की सजा को अजीवन कारावास मे बदला जा सकता है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

UMA SHANKAR   UNIT- I   LL.B 3YEAR II SEM

[संवैधानिक विधि-II]

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर विस्तृत रूप में दीजिए-

(1) राष्ट्रपति के चुनाव, अर्हताओं एवं चुनाव प्रक्रिया की विवेचना कीजिये।

(2) राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, विवेचना कीजिये?

(3) राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिये? क्या वह केवल संवैधानिक प्रधान है?

(4) राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना कीजिये? क्या वह केन्द्र के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है?

(5) प्रधानमंत्री की नियुक्ति की विवेचना कीजिये? मन्त्रिमण्डल एवं सामूहिक उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिये।

(6) प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिये।

Scanned with CamScanner